

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.07.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन कुमार शुक्ला पुत्र राम कृपाल निरो पूरे खेमकरन धरमी पुरवा थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीलो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—105/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गोलई उर्फ भरत सिंह पुत्र रामा निरो विसुनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीलो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—175/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना कोरो नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू सोनकर पुत्र फेरई सोनकर निरो रानीजोत थाना कोरो नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीलो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—496/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना कोरो मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी मनोज सोनकर निरो महुवाडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीलो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—180/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.07.2021**

**‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना को0 नगर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालों एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में आम्र्स एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियक्त—**

01. आसिफ उर्फ सिबलू पुत्र पीर मोहम्मद नि0 मेवातियान थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः—**

01. मु0अ0स0—498 / 21, धारा—3 / 25 आम्र्स थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगीः—**

01. 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता टीमः—**

01. उ0नि0 नीरज कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.07.2021**

**दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-197 / 21, धारा 363,366,506,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एकट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राकेश कुमार पुत्र सितई निरो लक्ष्मणपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-197 / 21, धारा 363,366,504,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ0निरो शादाब आलम मय टीम।

